सीरिया के कई ठिकानों पर हमले

वॉशिंगटन, 11 जनवरी. अमेरिका ने सीरिया में आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट (आईएस) के कई ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमले किए है. अमरीकी सेंट्रल कमांड ने यह जानकारी दी.

कमांड ने एक्स पर पोस्ट किया, दोपहर लगभग 12-30 बजे अमरीकी सेंट्रल कमांड की सेनाओं ने सहयोगी सेनाओं के साथ मिलकर पूरे सीरिया में आईएस के कई ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमले किए. कमांड ने कहा कि ये हमले ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक का हिस्सा थे, जिसे 13 दिसंबर को सीरिया के पल्मायरा में अमेरिका और सीरियाई सेनाओं पर हुए जानलेवा आईएस हमले के जवाब में 19 दिसंबर को शुरू किया गया था. हमले में आईएस के एक आतंकवादी ने घात लगाकर हमला किया, जिसमें दो अमरीकी सैनिक और अमरीकी दुभाषिया नागरिक मारे गए. कमांड ने कहा कि ये हमले हमारे लड़ाकों के खिलाफ इस्लामिक आतंकवाद को जड़ से खत्म करने, भविष्य में होने वाले हमलों को रोकने और इस इलाके में अमेरिकी और सहयोगी सेनाओं की रक्षा करने के हमारे लगातार प्रतिबद्धता का हिस्सा हैं.

हमला हुआ तो अमेरिका-इजरायल निशाने पर

तेहरान. ईरान की मजलिस (संसद) के अध्यक्ष मोहम्मद बघेर गालिबाफ ने कहा है कि अगर अमेरिका उनके देश पर हमला करता है तो वे भी इजरायल और अमेरिका दोनों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के लिये तैयार हैं. श्री गालिबफ ने एक आपातकालीन बैठक के दौरान कहा कि इजरायल और अमेरिका का सामना करने के अलावा ईरान आर्थिक, संज्ञानात्मक-मनोवैज्ञानिक और सैन्य-आतंकवाद के मोर्चे पर भी जंग लड़ रहा है. उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है, तो वह इजरायल और पूर्वी एशिया में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमला करेंगे. रिपोर्ट में कहा अगर अमेरिका हमारे ऊपर सैन्य हमला करता है तो उनके कब्जे के दोनों क्षेत्रों यानी इजरायल और अमेरिकी सैन्य-नौसेना ठिकाने हमारे निशाने पर आ जायेंगे. श्री गालिबाफ ने कहा हम खुद को कार्रवाई के बाद प्रतिक्रिया देने तक सीमित नहीं मानते हैं. हम खतरे के किसी भी ठोस संकेत के आधार पर कार्रवाई करेंगे. इस संसदीय सत्र के दौरान सांसदों ने अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाये. यह घटना तब हुई जब अमेरिका बताया कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने रविवार को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ फोन पर गाजा, सीरिया और ईरान में विरोध प्रदर्शनों पर चर्चा की. इस बीच, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि अमेरिका ईरान में प्रदर्शनकारियों की मदद करने के लिये तैयार है.

अमेरिका में छह की हत्या, आरोपी गिरफ्तार

मिसिसिपी, 11 जनवरी. अमेरिका के मिसिसिपी राज्य के क्ले काउंटी में एक सनकी हमलावर ने कहर बरपाते हुए अपने परिवार के कुछ सदस्यों और एक पादरी सहित छह लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी. शुक्रवार रात हुई इस जघन्य घटना ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी पहचान 24 वर्षीय डारिका एम. मूर के रूप में हुई है. शेरिफ कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, हमले की शुरुआत डेविड हिल रोड स्थित एक घर से हुई, जहाँ डारिका मूर ने अपने पिता ग्लैन मूर (67), भाई क्रिंटन मूर (33) और चाचा विली एड गाइन्स (55) को गोलियों से भून दिया.

मादुरो का संदेश, मैं योद्धा और मजबूत हूं

काराकस, 11 जनवरी. वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने अमेरिकी हिरासत में होने के बावजूद अपने बेटे के माध्यम से संदेश भेजा है कि वे पूरी तरह से सुरक्षित और मजबूत हैं.

उन्होंने अपने समर्थकों से एकजुट रहने और निराश न होने का आह्वान किया, जबकि कार्यवाहक राष्ट्रपति ने देश में स्थिरता बनाए रखने की बात कही. वेनेजुएला के सांसद निकोलस मादुरो ग्वेरा ने कहा कि उनके पिता राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने अपने वकीलों के जरिये संदेश भेजा है. इसमें कहा गया है कि वह ठीक हैं और अमेरिकी हिरासत में होने के बावजूद मजबूत बने हुए हैं. श्री ग्वेरा ने कहा वकीलों ने हमें बताया कि वे मजबूत हैं और हमें उदास नहीं होना चाहिए.

आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड

कॉर्पोरेट कार्यालय : युनिट नं. 802, नटराज रुस्तमजी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एवं एम.वी. रोड़, अंधेरी (पूर्व) मुम्बई - 400069
आगर शाखा: ग्राउंड फ्लोर, भूमि सर्वे नंबर 341/2 पर मकान का पूर्वी भाग, सारंगपुर रोड, छावनी नाका के पास, आगर - 465441 (मध्य प्रदेश)

मांग सूचना

सिक्यूरिटाईजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाईनेन्सियल एस्सेट्स एंड इंफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इंट्रस्ट एक्ट 2002 के साथ सपठित सिक्यूरिटी इंट्रेस्ट (इंफोर्समेंट) नियम 2002 का नियम 3(1) के साथ धारा13(2) के अंतर्गत सूचना

सिक्यूरिटाईजेशन एंड रिकन्स्टक्शन ऑफ फाईनेन्सियल एस्सेट्स एंड इंफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इंटेस्ट एक्ट 2002 (उपरोक्त कानून) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता **आधार हाउसिंग फायनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड (AHFL)** के प्राधिकृत अधिकारी है। उपरोक्त कानून की धारा 13(12) के साथ सपठित सिक्यूरिटी इंटेस्ट (इंफोर्समें ट) एक्ट, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए प्राधिकृत अधिकारी ने धारा13(2) के अंतर्गत नीचे वर्णित निम्न ऋणकर्ता (ओं) (उपरोक्त ऋणकर्ता (ओं)) को संबंधित मांग सूचना (ओं) में वर्णित राशि का पूर्णभुगतान करने के लिए बुलाये जाने के लिए जारी की गई थी। उपरोक्त संबंध में एक बार पुन: उपरोक्त ऋणकर्ता (ओं) को पुन: सूचित किया जाता है कि इस सूचना के प्रकाशन से 60 दिवस के अंदर नीचे वर्णित राशि के साथ नीचे वर्णित दिनांक से भुगतान की दिनांक एवं/या पुर्न प्राप्ति तक लागू मय ब्याज के उपरोक्त ऋणकर्ता (ओं) से किए गए ऋण अनुबंध के साथ अन्य दस्तावेजो/लिखित में यदि कोई हो, के अंतर्गत देय राशि का भुगतान करें। जैसा कि ऋण के पुर्नभुगतान की जमानत के लिए निम्न संपत्ति को उपरोक्त संबंधित ऋणकर्ता (ओं) द्वारा AHFL को गिरवी रखा गया है।

क्रं.	उधारकर्ताओं एवं सह-उधारकर्ता / जमानतदार के नाम	मांग पत्र की दिनांक एवं मांग राशि	प्रतिभूतित आस्तियों का विवरण (अचल संपत्ति/यां)
1	(लोन कोड नं. 11700000319/ आगर शाखा) प्रहलाद बैरागी (ऋणी) कृष्णा बाई बैरागी एवं कौसल्या बाई बैरागी (सह-ऋणी)	06-01-2026 एवं ₹ 11,98,582/-	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, सर्वे नंबर 444 के भाग पर मकान, पिडावा रोड, इमली चौराहा के पास, सुसनेर जिला आगर मालवा, मध्य प्रदेश - 465447 **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व - सड़क, पश्चिम - विक्रेता की उक्त भूमि का शेष भाग, उत्तर - विक्रेता की उक्त भूमि का शेष भाग, दक्षिण - विक्रेता की उक्त भूमि का शेष भाग
2	(लोन कोड नं. 11700000332/ आगर शाखा) अशफाक अहमद मंसूरी (ऋणी) अफरोज बी (सह-ऋणी)	06-01-2026 एवं ₹ 11,76,520/-	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, सर्वे नंबर 737 मिन 2 मिन 1, 738 एवं 742 के भाग पर प्लॉट, ग्राम गिरवर, जिसे गुलाब कॉलोनी, तहसील जिला शाजापुर, मध्य प्रदेश - 465001 **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व - श्री महमूद खां का प्लॉट, पश्चिम - सड़क, उत्तर - सड़क, दक्षिण - श्री शहजाद अहमद की भूमि

यदि उपरोक्त ऋणकर्ता उपरोक्त राशि का AHFL को भुगतान करने में असफल रहते है तो AHFL उपरोक्त संपत्ति के विरुद्ध कानून की धारा 13 (4) एवं लागू नियम के अंतर्गत ऋणकर्ता के पूर्ण जोखिम मूल्य एवं परिणाम पर कार्यवाही करेगी। उपरोक्त ऋणकर्ताओं को कानून के अंतर्गत संपत्ति का विक्रय, किराया या अन्य प्रकार से बिना AHFL के लिखित अनुमति के बिना हस्तांतरित करने पर प्रतिबंधित किया जाता है कोई व्यक्ति जो कि उपरोक्त कानून या नियम में दिए गए प्रावधानों का उल्लंधन या उल्लंधन करने को बढावा देता है उसे उपरोक्त कानून के अंतर्गत प्रदत जुर्माना या /एवं कारावास के लिए दंड दिये जाने के योग्य होगा।

स्थान : मध्य प्रदेश
दिनांक : 12-01-2026

सही/- प्राधिकृत अधिकारी
वास्ते - आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

विधायकों की विफलता को करें उजागर

राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने किया आव्हान

कोयंबटूर, 11 जनवरी. भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने रविवार को पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों से आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र द्रविड़ मुनेत्र कझगम विधायकों की कथित विफलताओं को स्थानीय स्तर पर उजागर करने का आह्वान किया.

उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ दल के खिलाफ नकारात्मक जनमत तैयार करना तमिलनाडु में सत्ता परिवर्तन के लिए आवश्यक है. कोयंबटूर के दो दिवसीय दौरे पर आए श्री नबीन ने भाजपा बूथ समिति पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि जमीनी स्तर पर स्थानीय मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि निरंतर और संगठित प्रयासों से प्रशासनिक बदलाव संभव है. श्री नबीन ने द्रमुक सरकार की कथित विफलताओं पर ध्यान केंद्रित करने की अपील करते हुए कहा कि जनता वर्तमान प्रशासन से असंतुष्ट है और इन मुद्दों को मतदाताओं तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने से भाजपा को चुनावों में मजबूती मिलेगी.

> उन्होंने कार्यकर्ताओं से सभी विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार अभियान को तेज करने का आग्रह किया. इससे पहले दिन में श्री नबीन ने मरुधमलाई सुब्रमण्य स्वामी मंदिर और पेरूर पटीश्वरर मंदिर में दर्शन-पूजन किया. बाद में उन्होंने वडवल्ली में आयोजित 'नम्मा ऊरु मोदी पोंगल' उत्सव में भाग लिया, जहां उन्होंने ओयिलट्टम और मयिलट्टम जैसे पारंपरिक नृत्य कार्यक्रमों में भी सहभागिता की.

अमेरिका पर वेनेजुएला में सोनिक हथियार इस्तेमाल करने का आरोप

वॉशिंगटन, 11 जनवरी. वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी को लेकर एक चौंकाने वाला दावा सामने आया है.

प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से कहा गया है कि अमेरिका ने इस ऑपरेशन के दौरान एक शक्तिशाली 'सोनिक हथियार' का इस्तेमाल किया, जिससे वेनेजुएला के सैनिकों की हालत बिगड़ गई. कथित तौर पर सैनिकों की नाक से खून बहने लगा, कुछ लोगों को खून की उल्टियां हुईं और वे जमीन पर गिर पड़े. यह दावा व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर साझा एक इंटरव्यू के बाद चर्चा में आया. इंटरव्यू में एक नाम न बताए गए सुरक्षा गार्ड ने खुद को उस रात ड्यूटी पर बताया, जब अमेरिकी बलों ने वेनेजुएला में कार्रवाई कर मादुरो को पकड़ा. लेविट ने पोस्ट में लिखा, रिपोर्ट के अनुसार, इंटरव्यू में सुरक्षा गार्ड ने बताया कि अचानक एक बेहद तेज ध्वनि तरंग महसूस हुई, जिससे सिर के अंदर विस्फोट जैसा दर्द हुआ.

कार्यालय नगर पालिका परिषद, खरगोन जिला खरगोन मध्यप्रदेश

दूरभाष (कोड - 07282) 232883 फैक्स :- 231333.
Email : cmokhargone@mpurban.gov.in

क्रमांक / 350 / मेला / 2026 — खरगोन, दिनांक : 09/01/2026

:: अल्प कालिन निविदा सूचना ::

श्री नवग्रह मेला आयोजन दिनांक 01 जनवरी 2026 से 22 फरवरी 2026 तक की अवधि के लिए आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पुलिस विभाग के निर्देशानुसार खोया-पाया केन्द्र (पी.ए. सिस्टम) स्थापित किया जाकर अनाउंसमेंट हेतु माईक, साउंड आदि उपकरणों की मेला अवधि के लिए प्रथक प्रथक दरें मेला अवधि के लिए किराये पर लगावाई जाना है।

इस कार्य हेतु समस्त इच्छुक इलेक्ट्रिक सामग्री जैसे माईक एम्प्लीफायर, स्पीकर / चिलम सामान्य साउण्ड / वायर / वायस रिकार्डिंग की मेला अवधि के लिए अल्पकालिन दरें आमंत्रित की जाती है।

अतः इच्छुक व्यक्ति दिनांक 12/01/2026 को समय 12.00 बजे तक अपने अपने भावपत्र बंद लिफाफे में प्रस्तुत कर सकते है।

मेला अधिकारी — मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद खरगोन — नगर पालिका परिषद खरगोन

शास्त्री जी की राष्ट्रसेवा और उनके आदर्श सदैव प्रेरणा देते रहेंगे

लाल बहादुर जी की पुण्यतिथि पर अरविंद केजरीवाल ने किया नमन

नई दिल्ली, 11 जनवरी. आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है. केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि पर उन्हें शत-शत नमन. सादगी, ईमानदारी और राष्ट्रसेवा के उनके आदर्श सदैव देश को प्रेरणा देते रहेंगे. अपने संदेश में केजरीवाल ने शास्त्री जी के जीवन मूल्यों और उनके योगदान को याद करते हुए कहा कि उनकी सादगी और ईमानदारी आज भी देश के लिए प्रेरणास्त्रोत है.

आज का इतिहास

- 1708 – शाहू को मराठा शासक बनाया गया।
- 1757 – पश्चिम बंगाल के बंदेल को ब्रिटिश शासकों ने पुर्तगालियों से छीना।
- 1863 – स्वामी विवेकानंद का जन्म।
- 1931 – पाक के मशहूर उर्दू शायर अहमद फराज का जन्म।
- 1934 – भारत की आजादी के लिए संघर्ष करने वाले क्रांतिकारी सूर्यसेन को अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया।
- 1976 – जासूसी उपन्यासों की मशहूर लेखिका अगाथा क्रिस्टी का निधन।

आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड

कार्पोरेट कार्यालय: युनिट नं. 802, नटराज रुस्तमजी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एवं एम.वी. रोड़, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई-400069.
देवास शाखा : प्लॉट नंबर- 01, विमला टावर, दूसरी मंज़िल, राम नगर, ए.बी. रोड, देवास-455001 (मध्य प्रदेश)

प्राधिकृत अधिकारी : दीपक मालवीय, मोबाइल नंबर 7583898990

निजी संधि के माध्यम से सरफेसी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत संपत्ति की बिक्री के हेतु सूचना

चूँकि **आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** (AHFL) के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के तहत सुरक्षित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। और चूँकि प्राधिकृत अधिकारी ने पहले ई-नीलामी नोटिस जारी किए थे लेकिन कोई सफल बोलीकर्ता को आकर्षित नहीं कर सका, और अब उसने नीचे दी गई सुरक्षित संपत्ति को निजी समझौते के माध्यम से विक्रय करने का फैसला किया है। प्राधिकृत अधिकारी को इस संबंध में कुछ इच्छुक व्यक्तियों से सुरक्षित संपत्ति की खरीद के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्राधिकृत अधिकारी एतद्द्वारा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 एवं 9 के संदर्भ में उपरोक्त संपत्ति की निजी समझौते के माध्यम से बिक्री के लिए आम तौर पर उधारकर्ताओं को यह नोटिस दे रहा है। खाते का विवरण इस प्रकार है:

क्रं.	लोन कोड नं. /शाखा	ऋणी/सह-ऋणी का नाम	मांग सूचना दिनांक एवं राशि	आरक्षित मूल्य (RP)	कुल बकाया ऋण राशि	सुरक्षित संपत्ति का विवरण
1.	(लोन कोड नं. 02100000247 / देवास शाखा)	**गोविंद सेन** (ऋणी), **प्रकाश सेन** (सह-ऋणी) **मुकेश सेन** (जमानतदार)	16-04-2021 & ₹ 8,36,570/-	₹ 4,00,000/-	₹ 18,25,179/- दिनांक 29-12-2025 तक	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, प्लॉट नंबर ए-11, गोकुल वृंदावन सिटी ग्राम किसोनी, शुजालपुर, शाजापुर, मध्य प्रदेश - 465333 **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व- सड़क, पश्चिम - प्लॉट नंबर ए-14, उत्तर- प्लॉट नंबर ए-12 एवं 13, दक्षिण- शॉप नंबर 12, 13, 14

यह सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत 15 दिन का बिक्री नोटिस जो उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता एवं जमानतदार को दिया जाता है कि उपरोक्त वर्णित अचल संपत्ति, जो सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है और जिसका भौतिक कब्जा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, उसे 'जैसा है जहाँ है', 'जैसी है वैसी है', और 'जो भी है' के आधार पर निजी समझौते के माध्यम से बेचा जाएगा, ताकि आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को देय राशि की वसूली की जा सके।

यदि उधारकर्ता(ओं), सह-उधारकर्ता(ओं) के पास कोई ऐसा खरीदार है जो दी गई आरक्षित मूल्य से अधिक कीमत पर सुरक्षित संपत्ति खरीदने के लिए तैयार है, तो उधारकर्ता(ओं), सह-उधारकर्ता(ओं) को **02.02.2026** से एक दिन पहले AHFL को सूचित करना होगा, जिसके बाद AHFL उस खरीदार को वरीयता देगा। यदि उधारकर्ता(ओं), सह-उधारकर्ता(ओं) **02.02.2026** से एक दिन पहले सूचित करने में विफल रहते हैं, तो AHFL ऊपर दिए गए आरक्षित मूल्य पर संपत्ति की बिक्री के लिए आगे बढ़ेगा। यह संपत्ति AHFL को ज्ञात या अज्ञात, सभी मौजूदा और भविष्य के भारों के साथ बेची जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार किसी भी तीसरे पक्ष के दावों/अधिकारों/बकाए के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। क्रेता को अपनी संतुष्टि के लिए संपत्ति (निजी समझौते के माध्यम से बिक्री के तहत) से संबंधित सभी पहलुओं पर उचित जांच पड़ताल करनी चाहिए। क्रेता बाद की तारीख में इस संबंध में प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार के खिलाफ कोई दावा करने का हकदार नहीं होगा।

नीलामी की तारीख 02.02.2026 तय की गई है।
स्थान : मध्यप्रदेश, दिनांक : 12.01.2026

सही/- प्राधिकृत अधिकारी
आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

HDFC BANK

प्रधान कार्यालय : एचडीएफसी बैंक हाउस, सेनापती बापट मार्ग, लोवर परेल (पश्चिम) मुम्बई - 400 013
क्षेत्रीय कार्यालय : एचडीएफसी बैंक लि., डिपार्टमेंट फॉर स्पेशल ऑपरेशन्स, सावित्री, 597-3/2, जी.सी.एफ. रोड़, सिविल लाईन, जबलपुर (म.प्र.) - 482001.

विक्रय सूचना

निजी संधि (Private Treaty) के माध्यम से स्थावर संपत्तियों की बिक्री हेतु सार्वजनिक सूचना

सिक्यूरिटाइजेशन एवं पुनर्निर्माण वित्तीय परिसंपत्तियाँ तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत, तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित

एतद् द्वारा सामान्य जन तथा विशेष रूप से उधारकर्ता/बंधककर्ता/जमानतकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि **HDFC BANK LTD**. के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा, प्रतिभूति हितों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत जारी नोटिस के अनुपालन में, निम्नलिखित ऋण खातों से संबंधित नीचे वर्णित संपत्ति/संपत्तियों का भौतिक कब्ज़ा ग्रहण कर लिया गया है।

उक्त संपत्ति/संपत्तियों को बैंक की देय राशि तथा उस पर देय ब्याज की वसूली हेतु .जैसी है जहाँ है, जैसी है जो है, जो भी वहाँ है और बिना किसी पुनरावर्तन के आधार पर. विक्रय करने का अधिकार बैंक को प्राप्त है।

चूँकि उधारकर्ता द्वारा बैंक की बकाया राशि का भुगतान करने में विफलता हुई है, अतः अधोहस्ताक्षरी, उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों तथा सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित, बैंक की बकाया राशि की वसूली हेतु उक्त संपत्ति/संपत्तियों को निजी संधि के माध्यम से, अंतिम सार्वजनिक नीलामी में निर्धारित अंतिम आरक्षित मूल्य के अनुसार, विक्रय किए जाने का प्रस्ताव करता/करती है।

अचल संपत्तियों का विवरण

क्रं.	शाखा एवं खाता का नाम	संपत्ति के बंधककर्ता एवं जमानतदारों के नाम	बंधक संपत्ति का विवरण	मांग सूचना के अनुसार राशि / मांग सूचना दिनांक / विक्रय / आरक्षित मूल्य	प्राधिकृत अधिकारी का नाम/फोन नं./ ई-मेल आईडी
1.	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, इंदौर (म.प्र.) मेसर्स ऑक्सीजन लाइफलाइन रिटेल प्राइवेट लिमिटेड (सीआईआरपी एवं लिक्वीडेशन आईबीसी के अंतर्गत	(1) **श्री रुपेन्द्र सिंह चौहान पिता देवेन्द्र सिंह** (निदेशक एवं जमानतदार मेसर्स ऑक्सीजन लाइफलाइन रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के CIRP के अंतर्गत है), (2) **श्री सचिन सिंह पिता महिपाल सिंह** (जमानतदार मेसर्स ऑक्सीजन लाइफलाईन रिटेल प्राइवेट लिमिटेड CIRP के अंतर्गत है), (3) **श्रीमती उर्वशी भदौरिया पिता अरुण भदौरिया** (जमानतदार मेसर्स ऑक्सीजन लाइफलाईन रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के CIRP के अंतर्गत है)), (4) **श्री कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह पिता देवेन्द्र सिंह** (निदेशक एवं बंधककर्ता - मेसर्स ऑक्सीजन लाइफलाईन रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के CIRP के अंतर्गत है)	आवासीय सह वाणिज्यिक संपत्ति, प्लॉट नंबर 168, स्कीम नंबर 78, भाग-II, इंदौर, मध्य प्रदेश पर स्थित **संपत्ति मालिक: श्री कुंवर पुष्पेंद्र सिंह** **क्षेत्रफल-** 180 वर्ग मीटर	₹ 6,56,03,958.68/- **16 जुलाई, 2022** 30.06.2022 तक की बकाया राशि, जिसमें ब्याज सम्मिलित है तथा 01 जुलाई, 2022 से पूर्ण एवं अंतिम भुगतान की तिथि तक उधार ली गई क्रेडिट सुविधाओं के अंतर्गत 18% प्रतिवर्ष की दर से मासिक आधार पर आगे का ब्याज देय होगा। **Rs.3,70,00,000/-**	**आशिष रावत** 9981126266 Ashish.rawat9@hdfc.bank.in **केशव नेगी** 7000815939 Keshav.negi@hdfc.bank.in **राजीव रथा** 9343859763 rajib.ratha@hdfc.bank.in

1. यह बिक्री निजी संधि (Private Treaty) के माध्यम से **.जैसी है जहाँ है, जैसी है जो है, जो भी वहाँ है** तथा बिना किसी पुनरावर्तन के आधार पर. की जाएगी।
2. बैंक किसी भी प्रकार के वर्तमान/भूतपूर्व/भविष्य के गैर-वैधानिक देयों / वैधानिक देयों / भार / कर बकाया, यदि कोई हों, के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। इच्छुक बोलीदाताओं को संपत्ति/ संपत्तियों पर किसी भी प्रकार के भार, स्वामित्व (टाइटल) आदि के संबंध में स्वयं स्वतंत्र रूप से जाँच-पड़ताल करनी होगी तथा संपत्ति का निरीक्षण कर स्वयं संतुष्टहोना होगा।
3. बैंक के प्राधिकृत अधिकारी को प्राप्त सभी अथवा किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अथवा बिना कोई कारण बताए नीलामी/बिक्री को रद्द करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा। प्राधिकृत अधिकारी का निर्णय अंतिम एवं सभी पर बाध्यकारी होगा।
4. **विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया हमारी www.hdfcbank.com and www.bankeauctions.com** देखें।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 9(1) के अंतर्गत 15 दिनों की वैधानिक बिक्री सूचना

उधारकर्ताओं/जमानतकर्ताओं को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वे इस सूचना की तिथि से 15 दिनों के भीतर, उपर्युक्त उल्लिखित राशि को अद्यतन तिथि तक देय ब्याज एवं अन्य सहायक व्ययों सहित अदा करें। ऐसा न करने की स्थिति में, उक्त संपत्ति/संपत्तियों को निजी संधि (Private Treaty) के माध्यम से विक्रय किया जाएगा तथा यदि कोई शेष बकाया राशि रह जाती है, तो उसकी वसूली ब्याज एवं लागत सहित की जाएगी।

दिनांक : 10.01.2026, स्थान : इंदौर

प्राधिकृत अधिकारी
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड

NAME CHANGE

I HUSAINI S/O EMDAD ALI MULTANPURAWALA HERE BY DECLARE THAT I HAVE CHANGE MY NAME AS HUSSAIN MULTANPURAWALA SO FROM NOW AND IN FUTURE I WILL BE KNOWN BY MY NEW NAME HUSSAIN MULTANPURAWALA S/O EMDADALI MULTANPURAWALA
ADD: 77, WARD NO 28, NEAR MOHAMMADI MASJID BOHRA BAKHAL, MANDSAUR

NAME CHANGE

I UMME AYMAN MURTAZA RAMPURAWALA W/O MURTAZA SHAIKH GULAM ABBAS HERE BY DECLARE THAT I HAVE CHANGE MY NAME AS UMME AYMAN RAMPURAWALA W/O MURTAZA RAMPURA WALA SO FROM NOW AND IN FUTURE I WILL BE KNOWN BY MY NEW NAME UMME AYMAN RAMPURAWALA W/O MURTAZA RAMPURA WALA
ADD: 117,BURHANI MASKAN, WARD NO. 05 BOHRA GALI, SITAMAU, DIST. MANDSAUR

TATA

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 11 वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनीनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग लोवर परेल, मुम्बई-400013.
शाखा कार्यालय : टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंस, तीसरी मंजिल, यूनिट 301, एनआरके टेक पार्क, प्लॉट नंबर 94, रिंग रोड, रेडिसन स्क्वायर के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश 452010

अचल संपत्ति की बिक्री हेतु विक्रय सूचना

(सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) सपठित नियम 9(1) के तहत)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) सपठित नियम 9(1) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री हेतु 15 दिवसीय ई-नीलामी सूचना

एतद् द्वारा सर्व सामान्य और विशेषकर अधोलिखित कर्जदार और/सह-कर्जदार या उनके कानूनी उत्तराधिकारियों/ प्रतिनिधियों (कर्जदारों) को सूचित किया जाता है कि टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लि. (टीसीएचएफएल), को बंधक अधोल्लिखित अचल संपत्ति जिसका टीसीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जा लिया गया, अधोलिखित कर्जदार और सह-कर्जदार से कुल बकाया राशि की वसूली के लिए **'जो है जहाँ है' और 'जहाँ है, जैसा भी है' और 'जो भी हैं'** आधार पर दिनांक **28-01-2026** को बिक्री की जायेंगी। आरक्षित मूल्य और धरोहर राशि जमा निम्न वर्णित हैं। एतद्वारा सूचित किया जाता है कि बिक्री के किसी स्थगन / बाधा के अभाव में उक्त संपत्ति ई-नीलामी के माध्यम से दिनांक **28-01-2026** को दोपहर **2:00** बजे बिक्री की जायेगी। संपत्ति खरीद के लिए मुहरबंद ई-नीलामी हेतु ईएमडी राशि का डिमांड डाफ्ट टीसीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिनांक **27-01-2026** को समय सायं 5.00 बजे तक शाखा कार्यालय : **टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड,** तीसरी मंजिल, यूनिट 301, एनआरके टेक पार्क, प्लॉट नंबर 94, रिंग रोड, रेडिसन स्क्वायर के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश 452010 पर जमा किया जाना चाहिए।

प्रत्याभूत संपत्ति/अचल संपत्ति की बिक्री 'जैसी है जहाँ है शर्त' निम्न अनुसूची में उल्लिखित संक्षेप विवरणों के अनुसार होगी।

क्रं	ऋण खाता क्रं.	ऋणी(यों)/सह-ऋणी(यों)/ कानूनी वारिस(सों)/ जमानतदा(रों) के नाम	मांग सूचना दिनांक	आरक्षित मूल्य	बकाया राशि
1	TCHHL009700010032 9815 & TCHIN0097000100331 549	श्री कमलेश जाट श्रीमती ज्योति जाट	₹ 16,66,713/- आपके द्वारा अनुबंध संख्या TCHHL0097000100329815 के अंतर्गत बकाया एवं देय एवं ₹ 1,89,218/- आपके द्वारा अनुबंध संख्या TCHIN0097000100331549 के अंतर्गत बकाया एवं देय हैं एवं कुल राशि ₹18,55,931/- 03-07-2025	₹ 20,00,000/- अग्रिम जमा राशि (ईएमडी): ₹ 2,00,000/- कब्जे का प्रकार : भौतिक	₹ 2,05,974/- आपके द्वारा अनुबंध संख्या TCHIN0097000100331549 के अंतर्गत बकाया एवं देय हैं एवं ₹ 17,70,420/- आपके द्वारा अनुबंध संख्या TCHHL0097000100329815 के अंतर्गत बकाया एवं देय हैं एवं कुल राशि ₹ 19,76,394/- 05-01-2026

अचल संपत्ति का विवरण : अचल संपत्ति के समस्त एवं शेष भाग, प्लॉट नं. 25, डायमंड पार्क, वार्ड नं.04 स्थित, नगर परिषद राजगढ़ तहसील सरदारपुर जिला धार (म.प्र.) क्षेत्रफल 1000 वर्गफीट यानि (92.936 वर्ग मीटर)
चर्तुसीमा:- पूर्व :- प्लॉट नंबर 08, पश्चिम:- कॉमन रोड, उत्तर:- प्लॉट नंबर 24, दक्षिण:- प्लॉट नंबर 26

नोट :- बोली लगाने वालों को सलाह दी जाती है कि बोली जमा करने से पहले पूरी जांच-पड़ताल कर लें। नीलामी किसी भी मुकदमे या विवाद के नतीजे पर निर्भर होगी।

नीलामी में, आम जनता को व्यक्तिगत रूप से अपनी बोली प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। हालाँकि, इस बिक्री के संबंध में कोई भी कर्तव्य निभाने वाला कोई भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति, बेची गई अचल संपत्ति में कोई भी हित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बोली नहीं लगाएगा, प्राप्त नहीं करेगा या प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेगा।

बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 में निर्धारित शर्तों और निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के अधीन होगी:

कृपया ध्यान दें: ई-नीलामी पोर्टल https://sarfaesi.auctiontiger.net के माध्यम से दिनांक 28-01-2026 को दोपहर 2.00 बजे से 3.00 बजे के बीच प्रत्येक 5 मिनट अवधि के असीमित विस्तार के साथ होगी।

नियम और शर्ते : 1. अनुसूची में दिया विवरण अधोहस्ताक्षरी के पूर्ण ज्ञान व जानकारी में दिया गया है, किंतु इस उदघोषणा अधोहस्ताक्षरी किसी त्रुटी, गलती या चूक के लिए अधोहस्ताक्षरी जवाबदेय नहीं होगा। बोली राशि या निविदाकार संबंधी किसी विवाद की स्थिति में अचल संपत्ति को दुबारा नीलामी के लिए रखा जायेगा। 2. संपत्ति आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जायेगी। 3. बोली वृद्धि राशि: **रु.10,000/- (दस हजार मात्र)** 4. संपत्ति की खरीद के लिए सभी निविदाएँ 'टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड' के पक्ष में और उपरोक्त शाखाओं में देय डिमांड ड्राफ्ट के साथ जमा की जाएं। असफल निविदाकारों के डिमांड डाफ्ट वापस कर दिए जायेंगे। आरटीजीएस/ एनईएफटी/ आईएमपीएस के माध्यम से ईएमडी के भुगतान के लिए प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क करें। 5. उच्चतम बोलीकारी को संबंधित लॉट का खरीदार घोषित किया जायेगा, बशर्ते वह विधिक रूप से बोली लगाने के लिए योग्य हो और उसकी बोली राशि आरक्षित मूल्य से कम न हो। 'प्राधिकृत अधिकारी' को अपने विवेक से उच्चतम बोली को अस्वीकार करने का अधिकार होगा जब उसे लगे कि पेशकश मूल्य स्पष्ट रूप से अपर्याप्त है। 6. उपलब्ध कारणों से 'प्राधिकृत अधिकारी' को अपने विवेक से बिक्री को स्थगित / रोकने का अधिकार होगा। 7. संपत्ति की निरीक्षण दिनांक **19-01-2026** को सुबह 11:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक किया जा सकेगा। 8. खरीददार घोषित व्यक्ति को ऐसी घोषणा के तुरंत बाद क्रय राशि की पच्चीस प्रतिशत राशि जिसमें ईएमडी राशि शामिल होगी प्राधिकृत अधिकारी के पास 24 घंटे के अंदर जमा करनी होगी, यह राशि जमा न किए जाने की स्थिति में संपत्ति नई नीलामी/निजी संधि द्वारा बिक्री के लिए रखी जायेगी। 9. उपरोक्त अनुसार प्रारंभिक राशि जमा कर दिए जाने पर क्रय राशि की शेष राशि संपत्ति की बिक्री की पुष्टि होने की तारीख से 15 दिनों तक खरीदार द्वारा 'प्राधिकृत अधिकारी को जमा करनी होगी, यदि 15वें दिन कोई रविवार या अन्य अवकाश होता है तो 15वें दिन के बाद प्रथम कार्य दिवस को जमा करनी होगी। 10. उपरोक्तानुसार भुगतान न होने पर संपत्ति नई नीलामी / निजी संधि द्वारा बिक्री के लिए रखी जायेगी। सभी जमा राशि टाटा कैपीटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पास जब्त हो जायेगी और चूककर्ता खरीदार संपत्ति पर अपने सभी दावे खो देगा। 11. टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंस लि. को ज्ञात ऋणभारों जिनके लिए संपत्ति देनदार है का विवरण-कोई नहीं, दावे, यदि कोई हों, जो संपत्ति के लिए प्रस्तुत किए गए हों और इसकी प्रकृति और मूल्य से संबंधित कोई अन्य ज्ञात विवरण: उपरोक्त तालिका के अनुसार। उपरोक्त अनुसूची के विवरण अनुसार इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि वहां के संपत्ति कर, बिजली आदि के सांविधिक देनदारियों क्षेत्रों सहित संपत्ति पर ऋण भार के बारे में स्वयं जांच करें। **12. अन्य किसी विवरण के लिए अथवा ई-नीलामी पर प्रक्रिया ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता, मेसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीस लिमिटेड (ऑक्शन टाइगर), पता: बी-705, वॉल स्टीटII, ओरिएंट क्लब के सामने, गुजरात कॉलेज के पास, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद 380 006 गुजरात (भारत) ईमेल आईडी: support@auctiontiger.net & ramprasad@auctiontiger.net या मनीष बंसल, ईमेल आईडी manish.Bansal@tatacapital.com प्राधिकृत अधिकारी मोबाइल नंबर 8588983696. कृपया अपना भेजें व्हाट्सएप नंबर 9999078669 पर संपर्क कर सकते हैं।** 13. उच्चतम घोषित बोली राशि पर उच्चतम बोली दाता द्वारा 1% का टीडीएस लागू और देय होगा। भुगतान उच्चतम बोलीदाता द्वारा मालिक/उधारकर्ता (ओं) के पैन में जमा करना आवश्यक है और चालान की प्रति हमारी कंपनी को प्रस्तुत की जाएगी। 14. उपरोक्त विवरणों के लिए कृपया प्रदान की गई प्रत्याभूत ऋणदाता की वेबसाइट **https://surl.lu/zpjbpk** का संदर्भ लें। 15. कृपया इस लिंक पर भी जाएं : **https://www.tatacapital.com/property-disposal.html**

कृपया ध्यान दें: टीसीएचएफएल ने इस संपत्ति की बिक्री/नीलामी के लिए उल्लिखित नीलामी भागीदार के अलावा किसी दलाल/ एजेंट को नहीं लगाया है। इच्छुक पक्षों को इस मामले में सभी प्रश्नों और जांच के लिए केवल अधोहस्ताक्षरी या अधिकृत कार्यालय से संपर्क करना चाहिए।

ह/-
(प्राधिकृत अधिकारी)
टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंस लि.

स्थान : इन्दौर (म.प्र.)
दिनांक : 12-01-2026